कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, प्रथम जोधपुर

प्रमाण पत्र

लक्की शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित लक्की इन्टरनेशनल स्कूल सैक्टर 8 कुडी हाऊसिंग बोर्ड जोधपुर को राजस्थान राज्य में सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य एवं गैर सरकारी संस्थाओं को लक्ष्य प्राप्ति के लिए निभाई जा रही भूमिका के दृष्टिगत श्रीमान निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेशांक प्रारं/शैक्षिक/सी/ 19626/15–16 दिनांक 16.04.15 द्वारा जारी विज्ञप्ति के क्रम में संस्था द्वारा प्रस्तुत मान्यता आवेदन पत्र एवं सक्षम स्तर पर निरीक्षण एवं अनुमोदन उपरान्त एवं श्रीमान वरिष्ठ शासन उप सचिव के पत्र कमांक पं.9(2) शिक्षा–5/मा.प्राउप्रा/2005 पार्ट जयपुर दिनांक 29.07.15 एवं श्रीमान निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश कमाक शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/सी–एफ/मूल मान्यता/2015–16 दिनांक 30.07.15 की अनुपालना मे शिथिलता प्रदान करने पर निम्न शर्तों एवं अनुबंधों के आधार पर सत्र 2015–16 से उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8)पर मान्यता क्रमोन्नत कर (माध्यम–अंग्रेजी में) संचालन करने की स्वीकृति जारी की जाती है।

1.संस्था द्वारा प्रस्तुत राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम 1993 के परिशिष्ठ–1 में अंकित सूचनाएं परिशिष्ठ–2 में यथा निर्दिष्ठ निर्बन्धनों तथा शर्तो की पूर्ति एवं इस बात के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार कमी पाये जाने पर जारी प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

2.संस्था द्वारा राज्य सरकार, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, उप निदेशक माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा एवं ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी किए जाने पर आदेशों, निर्देशों व अनुदेशों का तत्परता से पालन करने एवं उनसे समय–समय पर मांगी जाने वाली अन्य सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु संस्था पाबंद होगी। अवमानना की स्थिति में जारी प्रमाण–पत्र प्रत्याहरित करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

3.संस्था के विद्यार्थी किसी अन्य गैर सरकारी शिक्षण संस्था अथवा सरकारी विद्यालय में प्रवेश हेतु पात्र होंगे, परन्तु इस प्रयोजनार्थ इन्हें संस्था द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अथवा शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित समान परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

4.राजस्थान सरकार के नवीन निर्देशानुसार प्रत्येक संस्था को प्रत्येक तीन वर्ष में अपने द्वारा संचालित विद्यालय भवन का 'भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र' मय ब्ल्यू प्रिंट के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करना होगा।

5.राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्थान नियम 1993 के नियम 23 के अनुरूप कार्यकारिणी का निर्वाचन कर प्रमाणित प्रति इस कार्यालय को समय–समय पर प्रस्तुत करनी होगी।

6.अभिभावक/छात्र के द्वारा T.C. चाहने पर नियमानुसार जारी करेंगे एवं प्रधानाध्यापक के परिवर्तन की सूचना परिवर्तन के साथ ही हस्ताक्षर प्रमाणित कर प्रस्तुत करेंगे।

7.विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना शाला संचालन स्थान का परिवर्तन नहीं किया जावे।

8.सूचना के अधिकार के तहत आपके विद्यालय से समस्त सूचनाएं मांगने पर प्रस्तुत करनी होगी।

9.आरटीई (RTE) के नियमो की पालना करनी होगी।

-sd-
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा, जोधपुर

क्रमांक : जिशिअ/प्राशि/जोध/मान्यता/2015/एफ–06/ 784   दिनांक : 16/9/15

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ –

1.श्रीमान निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2.श्रीमान उपनिदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, जोधपुर मण्डल, जोधपुर।
3.श्रीमान ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, जोधपुर।
4 श्रीमान एपीसीआरटीई स्थानीय कार्यालय जोधपुर
5. लक्की शिक्षण संस्थान जोधपुर ।
6.कार्यालय पंजिका।

16/9/15
जिला शिक्षा अधिकारी

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, प्रथम जोधपुर

प्रमाण पत्र

लक्की शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित लक्की इन्टरनेशनल स्कूल सैक्टर 8 कुडी हाऊसिंग बोर्ड जोधपुर को राजस्थान राज्य में सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य एवं गैर सरकारी संस्थाओं को लक्ष्य प्राप्ति के लिए निभाई जा रही भूमिका के दृष्टिगत श्रीमान निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेशांक प्रारं/शैक्षिक/सी/ 19626/15–16 दिनांक 16.04.15 द्वारा जारी विज्ञप्ति के क्रम में संस्था द्वारा प्रस्तुत मान्यता आवेदन पत्र एवं सक्षम स्तर पर निरीक्षण एवं अनुमोदन उपरान्त एवं श्रीमान वरिष्ठ शासन उप सचिव के पत्र कमांक पं.9(2) शिक्षा–5/मा.प्राउप्रा/2005 पार्ट जयपुर दिनांक 29.07.15 एवं श्रीमान निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश कमाक शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/सी–एफ/मूल मान्यता/2015–16 दिनांक 30.07.15 की अनुपालना मे शिथिलता प्रदान करने पर निम्न शर्तो एवं अनुबंधों के आधार पर सत्र 2015–16 से उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8)पर मान्यता क्रमोन्नत कर (माध्यम–अंग्रेजी में) संचालन करने की स्वीकृति जारी की जाती है।

1.संस्था द्वारा प्रस्तुत राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम 1993 के परिशिष्ठ–1 में अंकित सूचनाएं परिशिष्ठ–2 में यथा निर्दिष्ठ निर्बन्धनों तथा शर्तो की पूर्ति एवं इस बात के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार कमी पाये जाने पर जारी प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

2.संस्था द्वारा राज्य सरकार, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, उप निदेशक माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा एवं ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी किए जाने पर आदेशों, निर्देशों व अनुदेशों का तत्परता से पालन करने एवं उनसे समय–समय पर मांगी जाने वाली अन्य सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु संस्था पाबंद होगी। अवमानना की स्थिति में जारी प्रमाण–पत्र प्रत्याहरित करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

3.संस्था के विद्यार्थी किसी अन्य गैर सरकारी शिक्षण संस्था अथवा सरकारी विद्यालय में प्रवेश हेतु पात्र होंगे, परन्तु इस प्रयोजनार्थ इन्हें संस्था द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अथवा शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित समान परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

4.राजस्थान सरकार के नवीन निर्देशानुसार प्रत्येक संस्था को प्रत्येक तीन वर्ष में अपने द्वारा संचालित विद्यालय भवन का 'भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र' मय ब्ल्यू प्रिंट के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करना होगा।

5.राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्थान नियम 1993 के नियम 23 के अनुरूप कार्यकारिणी का निर्वाचन कर प्रमाणित प्रति इस कार्यालय को समय–समय पर प्रस्तुत करनी होगी।

6.अभिभावक/छात्र के द्वारा T.C. चाहने पर नियमानुसार जारी करेंगे एवं प्रधानाध्यापक के परिवर्तन की सूचना परिवर्तन के साथ ही हस्ताक्षर प्रमाणित कर प्रस्तुत करेंगे।

7.विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना शाला संचालन स्थान का परिवर्तन नहीं किया जावे।

8.सूचना के अधिकार के तहत आपके विद्यालय से समस्त सूचनाएं मांगने पर प्रस्तुत करनी होगी।

9.आरटीई (**RTE**) के नियमो की पालना करनी होगी।

sd

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा, जोधपुर

क्रमांक : जिशिअ/प्राशि/जोध/मान्यता/2015/एफ–06/784

दिनांक : 16/9/15

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ –

1.श्रीमान निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2.श्रीमान उपनिदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, जोधपुर मण्डल, जोधपुर।
3.श्रीमान ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, जोधपुर।
4 श्रीमान एपीसीआरटीई स्थानीय कार्यालय जोधपुर
5. लक्की शिक्षण संस्थान जोधपुर ।
6.कार्यालय पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी